न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 12/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00079

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी, जिला पाली		1. ग्राम पंचायत मगरतलाव 2. ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देसूरी, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार पंचायत प्रसार अधिकारी, पाली

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 19-7-21

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर जैर निगरानी पट्‌टा संख्या 17 दिनांक 20.5.2013 के जो संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.5. 2013 ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा ग्राम भाणका में जारी किया उन्हें निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं रेकर्ड ग्राम पंचायत का मंगवाया जाकर अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा जैर निगरानी पट्‌टा संख्या 17 दिनांक 20.5.2013 जो संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.5.2013 पारित कर उसकी पालना में जारी किया उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित अनुसार जैर निगरानी पट्‌टा सिवायचक भूमी में जारी किया है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमी नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नूजूल आबादी भूमी नहीं होने से जारी किया गया जैर निगरानी पट्‌टा निरस्त योग्य है जैर निगरानी पट्‌टा बिना मिसल कायम किए बिना आवेदन पत्र के अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। जिसे निरस्त फरमाया जावे। तथा उक्त पट्‌टा जारी करने के बाद 8000 वर्गफुट होने से जिला परिषद से पुष्टि करानी चाहिए थी जो नहीं कराई गई। उपरोक्त कारणों से जैर निगरानी पट्‌टा निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.5.2013 जो पंचायत कोरम में पारित किया उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पट्‌टा भाणका नया गांव रोड़, के पास सिवायचक भूमी पड़ी है उक्त भूमी में प्रस्ताव लिया जाकर 100 गुणा 80 फिट का प्रस्ताव पारित सर्वसम्मति से किया गया है जबकि ग्राम पंचायत को सिवायचक राजकीय भूमी में प्रस्ताव लेने व पट्‌टा जारी करने का अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत नूजूल आबादी भूमी में ही पट्‌टा जारी करने का अधिकार रखती है। इसलिए जैर निगरानी पट्‌टा एवं प्रस्ताव निरस्त योग्य है। पट्‌टा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र ही नहीं पेश किया और न ही पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई तथा 8000 वर्गफुट पट्‌टा जारी किया न ही उसका जिला परिषद से नियमानुसार अनुमोदन नहीं कराया गया है। उपरोक्त सभी कारणों से जैर निगरानी पट्‌टा विधिविरूद्ध जारी किया जाने से निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:41:42 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

Ansh
जिला कलक्टर, पाली

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 17 दिनांक 20.5.2013 एवं प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.5.2013 जो ग्राम पंचायत मगरतलाव पंचायत समिति देसूरी द्वारा भाणका नया गांव रोड़ पर उपस्वास्थ्य केन्द्र भाणका के हक में जारी किया गया, को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड प्रेषित किया जावें

निर्णय आज दिनांक 19-7-21 को मेरे द्वार लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:41:42 IST
Reason: SelfAttested